

# समाहरणालय, दरभंगा

(जिला पंचायत प्रषाखा)

—:: आदेश ::—

पंचायत आम निर्वाचन, 2016 के अवसर पर निर्वाचन कार्य सफल संचालन हेतु सभी कार्यालयों/कोषांग में देर रात एवं अवकाश के दिन भी निर्वाचन कार्यों का निष्पादित किया जाता है। संयुक्त सचिव वित्त विभाग बिहार पटना के पत्रांक- 7902 दिनांक 09.09.2015 द्वारा प्राप्त निदेशानुसार पदाधिकारियों/कर्मियों को मात्र, यदि देर रात तक एवं अवकाश के दिन कार्यालय में रहकर कार्य निष्पादन किया जाता है, तो उन्हें मो0 50.00 रुपये नास्ता एवं मो0 125.00 रुपये भोजन हेतु करने का प्रावधान है। यह भी निदेश है कि किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जाएगा। इसकी स्वीकृति जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)-सह- जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 30.03.2016 से संचिका में प्राप्त है।

हृ —

जिला पंचायत राज पदाधिकारी  
दरभंगा

ज्ञापांक.....589.....दिनांक.....11/4/16.....

प्रतिलिपि :- सभी कोषांग के वरीय पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। सभी संबंधित पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि अवकाश के दिनों अथवा कार्यालय अवधि के बाद देर रात्रि तक कार्य करने संबंधी प्रमाण पत्र के पश्चात् नास्ता एवं भोजन का पैकेट नियमानुसार आपूर्ति करने हेतु नजारत उप समाहर्ता से अनुरोध करेंगे।

प्रतिलिपि :- नजारत उप समाहर्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। (नजारत की समाहर्ता के लिये)

589  
11/4/16  
जिला पंचायत राज पदाधिकारी,  
दरभंगा।  
01.04.16  
01/04/2016